हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 135

मंगलवार, 15 मार्च, 2022/24 फाल्गुन,1943(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 5156 से 5159 तथा 5161 से 5165 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 5160 के उत्तर पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 5166 पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर समयाभाव के कारण नहीं आया। तारांकित प्रश्न संख्या 5167 से 5181 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2176 से 2202 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए विषय उठाया कि कल से कुछ टी0वी0 चैनल्ज तथा आज अखबारों में भी आया है कि कैबिनेट ने विधायकों के सैर-सपाटे के लिए डेढ़ लाख रुपये बढ़ा दिए हैं, क्या ऐसा सच में हुआ है क्योंकि किसी भी विधायक ने कभी भी यह मांग नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि सदन का भी यह कर्त्तव्य बनता है कि ऐसी झूठी ख़बरें छापने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाए तथा विधान सभा सचिवालय भी इस पर कड़ा संज्ञान लेकर कोई एक्शन ले।

माननीय मुख्य मंत्री ने इस तरह की ख़बर को गैर-जिम्मेदाराना बताया तथा स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि विधायकों को कई बार सरकारी कार्यों के सिलसिले में प्रदेश से बाहर जाना होता है तो यदि उनको हिमाचल भवन/हिमाचल सदन में सरकारी व्यवस्था के अनुसार कमरा नहीं मिल पाए तो विधायक होटल में ठहर सके उसके लिए पहले 2.5 लाख रुपये का प्रावधान था जिसमें अब थोड़ी बढ़ोतरी करके 4 लाख रुपये किया गया है। उन्होंने इलैक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया से आग्रह किया कि हमेशा वास्तविक स्थिति का ज़िक्र किया करें।

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या ने कहा कि मीडिया द्वारा जान-बूझकर विधायकों की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है जबकि आज की तारीख में विधायकों का पैसा न घटाया गया है और न ही बढ़ाया गया है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से इस संबंध में व्यवस्था देने की गुज़ारिश की।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

> "मैंने भी इस ख़बर को सुबह ही समाचार-पत्रों में पढ़ा है और शाम से ही न्यूज पोर्टलों के माध्यम से चल रही न्यूज को पढ़कर माननीय सदस्यों के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं उनका उल्लेख सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने और माननीय मुख्य मंत्री ने विस्तारपूर्वक कर दिया है। न्यूज चैनल और अख़बारों में जो टाइटल दिया गया है कि सैर-सपाटे के लिए लाखों रुपये बढ़ा दिए, उसको देखकर मुझे लगता है कि हमारे माननीय विधायकों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा

है। मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि जिस प्रकार की खबरें चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया की ओर से आ रही हैं, इनका मैं संज्ञान लूंगा। नियमों की परिधि में और नियमों के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालय इस पर अवश्य कार्रवाई करेगा क्योंकि सभी माननीय सदस्यों की छवि इन चैनलों के माध्यम से ऐसी प्रस्तुत की जा रही है कि विधायकों के लाखों रुपये बढ़ा दिए और जन-प्रतिनिधि लूटने ही यहां आए हैं। सभी इलैक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बन्धुओं का विधान सभा की कार्यवाही को आगे प्रदेश व देश के लोगों तक पहुंचाने में बड़ा सहयोग रहता है लेकिन इस प्रकार की सनसनीखेज खबरें जो माननीय सदस्यों के आचरण और व्यवहार के खिलाफ हैं; जिनका ज़िक्र तक कैबिनेट की बैठक में नहीं हुआ है, उसके बावजूद जिस तरीके से विषय को रखा गया है, इसकी मैं भी आलोचना करता हूं।"

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर**, **मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःपी0ई0आर0(ए0पी0)-सी-ए(3)-5/2017-लूज़ दिनांक 26.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2022 को प्रकाशित।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर**, **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-118(5) के अन्तर्गत पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के 46वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21; और

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का लेखा कथन प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (01-04-2020 से 31-03-2021 तक)।

(5) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 394-395 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21;

(iii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग मूल्यांकन समिति का गठन जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-H(1)-32/2020-42525/2021 दिनांक 23.03.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग निगरानी समिति का गठन जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-H(1)-32/2020-43224/2021 दिनांक 23.03.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(व्यापार का आचरण) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/151/Vol-III दिनांक 30.03.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.03.2021 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज और क्रॉस सब्सिडी की चरणबद्धता) (द्वितीय संशोधन) विनिमय, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/391 दिनांक 9.04.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.04.2021 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड कोड समीक्षा समिति का पुर्नगठन जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-H(1)-10/Vol-1/2020-754 दिनांक 30.06.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.07.2021 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (सुरक्षा जमा) (चतुर्थ संशोधन) विनिमय, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-414/(Security Deposit) दिनांक 09.07.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.07.2021 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत खरीद दायित्व और उसका अनुपालन)(सातवां संशोधन)विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-H(1)-438 दिनांक 15.07.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.07.2021 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कनेक्टिविटी का अनुदान, दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के इंट्रा-स्टेट ओपन एक्सेस और संबंधित मामले)(द्वितीय संशोधन)विनियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/418 दिनांक 11.08.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.08.2021 को प्रकाशित;

(xi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) (द्वितीय संशोधन) विनिमय, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याःHPERC/H(1)-25 दिनांक 08.09.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.09.2021 को प्रकाशित;

(xii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की सेवा के लिए नियम और शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनिमय, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याःHPERC-B(3)-1/2020-705-Vol-VII दिनांक 02.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.12.2021 को प्रकाशित;

(xiii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग सप्लाई कोड (पांचवा संशोधन)जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Secy/438 दिनांक 14.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.01.2022 को प्रकाशित;

(xiv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग वितरण कोड समीक्षा पैनल का पुनर्गठन जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/392-Vol(III)-2022 दिनांक 17.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.01.2022 को प्रकाशित;

(xv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकायुक्त)(द्वितीय संशोधन)विनियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-(H)(1)-1/2012 दिनांक 20.01.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.01.2022 को प्रकाशित; और

(xvi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/A04/1/2022-HPERC-GoHP दिनांक 01.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2022 को प्रकाशित।

{(iii) **से (xvi) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं**}

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का नवम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का दशम् प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

(2) **श्री विनोद कुमार, सभापति, मानव विकास समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 27वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है।

4. प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री एवं सभापति, प्रवर समिति ने (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22), **हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2021(2021 का विधेयक संख्यांक 6)** के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री राकेश जम्वाल, सदस्य ने अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक **"पानी की निकासी न होने से टुटा सुन्दर नगर बस अड्डा"** से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

उद्योग मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश जम्वाल ने स्पष्टीकरण पूछा।

उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

6. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान एवं पारण

मांग संख्याः 10 (लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन)

मांग पर चर्चा जारी

निम्नलिखित ने चर्चा की -

1. **श्री राकेश सिंघा**

(12.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2. **श्री संजय अवस्थी**

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

(1.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.25 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

मांग संख्याः 12 (उद्यान)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 12 (उद्यान) के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 3,76,26,06,000/- और 7,43,12,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 12 पर सर्वश्री जगत सिंह नेगी, नन्द लाल, रोहित ठाकुर और श्री राकेश सिंघा की ओर से 4 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. **श्री जगत सिंह नेगी**

(02.35 बजे अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

2. **श्री नन्द लाल**
3. **श्री रोहित ठाकुर**
4. **श्री मोहन लाल ब्राक्टा**
5. **श्री राकेश सिंघा**

जल शक्ति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

(04.00 बजे अपराह्न गिलोटिन लगाया गया।)

मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6,, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 पूर्ण रूप से पारित हुई।

7. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 4)" पारित हुआ।

(ii) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री,** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी व **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्यों** ने एक-दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा।

जल शक्ति मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3)" पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 3)" पारित हुआ।

(iii) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री,** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का

विधेयक संख्यांक 6)" पर विचार किया जाए जोकि दिनांक 10.08.2021 को पुरःस्थापित व दिनांक 12.08.2021 को विचार-विमर्श एवं पारण हेतु निर्धारित था जिसे अनुसंशा हेतु प्रवर समिति को सौंपा गया था

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री आशीष बुटेल, सदस्य ने एक-दो बिन्दु पर स्पष्टीकरण मांगा।

जल शक्ति मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 6)" पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"**हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 6)"पारित हुआ।**

(iv) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री राकेश सिंघा ने खण्ड-2 पर अपने संशोधन प्रस्तुत करते हुए चर्चा की।

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राकेश सिंघा, सदस्य ने अपने संशोधन वापिस लिए।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2)" पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश नगर निगम(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 2)" पारित हुआ।

(v) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी ने बिल पर चर्चा में भाग लिया।

श्री राकेश सिंघा ने खण्ड-2 पर अपने संशोधन प्रस्तुत करते हुए चर्चा की।

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु तथा श्री जगत सिंह नेगी, सदस्यों ने कुछेक बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा।

शहरी विकास मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

श्री राकेश सिंघा द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुए।

बिल पर खंडशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 व 16 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5)" पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश स्लम वासी (साम्पत्तिक अधिकार) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 5) पारित हुआ।

8. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री रोहित ठाकुर, श्री नरेन्द्र ठाकुर, श्री राकेश सिंघा, श्रीमती रीता देवी तथा श्री सतपाल सिंह रायजादा सदस्यों की ओर से नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

(06.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 6.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

सत्र का समापन

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने सत्र के समापन पर अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार का यह पांचवा बजट सत्र आज समापन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट कठिन परिस्थितियों में पेश किया गया क्योंकि प्रदेश की आर्थिकी महामारी के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है लेकिन उसके बावजूद सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभी जितना भी समय चुनाव के लिए बचा है उस सारे समय में वे प्रदेश की जनता की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब कोविड का दौर भी समाप्ति पर है और हम पहले जैसा जीवन जीना शुरू कर देंगे। उन्होंने यूक्रेन में फंसे सभी प्रदेश के छात्रों के घर पहुंचने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने विपक्ष की जनहित के विभिन्न मुद्दे उठाने हेतु सराहना करते हुए इस सचिवालय तथा प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का सत्र के कार्य में सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष सहित सदन के कार्य से जुड़े सभी लोगों व सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का भी सदन में सार्थक चर्चा हेतु धन्यवाद किया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्य मंत्री जी अपना पांचवा बजट प्रस्तुत करते हुए अति-उत्साही नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट से लोग बहुत निराश हुए हैं क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें यह सरकार अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में पूरी नहीं कर पाई है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि यहां पर जितने भी लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं, उनके भले के लिए काम किए जाएं और इस बजट को ढंग से विकासात्मक कार्यों में लगाया जाए। यहां पर विपक्ष में हम माननीय श्री राकेश सिंघा जी को मिलाकर 22-23 लोग बैठे हैं और पक्ष ने देखा होगा कि उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली विपक्ष मिला है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय की सत्र के सफल संचालन हेतु सराहना करते हुए कहा कि आपने विपक्ष को अपनी बात रखने का काफी समय दिया। उन्होंने कहा कि अंतिम बजट में माननीय मुख्य मंत्री के व्यवहार और शालीनता में भी इज़ाफा हुआ है। उन्होंने विभिन्न विभागों के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विशेष तौर पर विधान सभा के सचिव व समस्त

स्टाफ का भी सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। इसके अलावा प्रेस बंधुओं का भी सत्र की अच्छी कवरेज देने हेतु आभार व्यक्त किया।

सत्र के समापन पर माननीय अध्यक्ष द्वारा संबोधन

"आज हिमाचल प्रदेश की तेहरवीं विधान सभा का चौदहवां तथा वर्तमान सरकार का 5वां अन्तिम बजट सत्र अपेक्षा-अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ समापन की ओर अग्रसर है। यह सत्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ 23 फरवरी, 2022 को आरम्भ हुआ तथा आज 15 मार्च, 2022 को 15 बैठकों के साथ समापन की ओर बढ़ने जा रहा है। 3 मार्च तथा 10 मार्च को गैर-सरकारी कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया था एवं 4 मार्च को मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान सरकार का 5वां बजट पेश किया। 26 फरवरी तथा 5 मार्च, 2022 को शनिवार के दिन भी अविलम्ब सत्र का आयोजन किया गया। इस सदन की कार्यवाही 76 घंटे चली तथा सदन की उत्पादकता 101 प्रतिशत रही।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अपनी गरिमा, मर्यादा तथा उच्च परंपराओं के लिए पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि "सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसक साधनों से नहीं आ सकता।"

सत्र के प्रथम दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रस्तुत हुआ तथा अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चार दिन तक चली जिसमें कुल 42 सदस्यों (पक्ष-21, प्रतिपक्ष-19, सी पी आई (एम)-1 व निर्दलीय-1) ने भाग लिया तथा चर्चा 14 घण्टे 16 मिनट तक चली। चर्चा उपरान्त मुख्य मन्त्री जी ने दिनांक 2 मार्च, 2022 को (1 घण्टे 07 मिनट) चर्चा का उत्तर दिया। दिनांक 26 फरवरी, 2022 को माननीय मुख्य मन्त्री ने अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया।

दिनांक 4 मार्च, 2022 को मुख्य मन्त्री जी द्वारा बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 प्रस्तुत किए गए। बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा चार दिन (5 मार्च से 9 मार्च, 2022) तक हुई जिसमें कुल 34 सदस्यों (पक्ष-25, प्रतिपक्ष-22, सी पी आई (एम)-1 व निर्दलीय-1) ने भाग लिया। यह चर्चा 17 घण्टे 14 मिनट तक चली तथा चर्चा उपरान्त माननीय मुख्य मन्त्री ने दिनांक 11 मार्च, 2022 को 1 घण्टे 10 मिनट तक चर्चा का उत्तर दिया।

दिनांक 14 मार्च से आज तक बजट की अनुदान मांगों पर विपक्ष ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए एवं सार्थक चर्चाएं कीं। चर्चा के उपरान्त मुख्य मन्त्री/मन्त्रियों ने अपनी-अपनी मांगों से सम्बन्धित उत्तर दिए एवं मांगे पारित हुईं। तदुपरान्त शेष मांगें गिलोटिन द्वारा पूर्ण रूप से पारित हुईं एवं विनियोग विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण हुआ।

सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिए गये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। इस सत्र के दौरान कुल 617 तारांकित तथा 362 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

सत्र में नियम-62 के अन्तर्गत एक विषय तथा सत्र में दो दिन गैर-सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित थे जिस पर माननीय सदस्यों ने नियम 101 के अन्तर्गत 4 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए तथा माननीय सदस्यों द्वारा सार्थक चर्चा की गई। दो संकल्पों को चर्चा उपरान्त सदस्यों द्वारा वापिस लिया गया। एक संकल्प पिछले सत्र में प्रस्तुत हुआ था जिस पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की और एक संकल्प का उत्तर माननीय मन्त्री द्वारा अगले सत्र में दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त 5 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित एवं पारित किये गए। इसमें से एक विधेयक प्रवर समिति को अनुशंसा हेतु प्रस्तुत था जिस पर समिति ने अपना प्रतिवेदन भी तैयार किया। सदन द्वारा यह विधेयक चर्चा उपरान्त पास किया गया। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 13 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया। सभा की समितियों ने भी 54 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिये गए।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व में सदस्य रहे स्वर्गीय श्री कश्मीरी लाल जोशी व श्री चमन लाल पूर्व सदस्यों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई जिनका पिछले सत्र के बाद निधन हुआ था। मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

प्रश्नों से सम्बन्धित जो सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई; वे बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी उजागर किया।

विधान सभा सचिवालय में प्रवेश पाने हेतु थर्मल स्क्रीनिंग की जाती रही। इस बार आगंतुकों को भी दर्शक दीर्घा में बैठने हेतु SOP's की परिपालना करते हुए पास जारी किये गये। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री तथा मंत्रीपरिषद से मिलने आये लोगों को भी पास जारी किये गये। सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री तथा नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से इस माननीय सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो पाई।

मैं संसदीय कार्यमन्त्री, मुख्य सचेतक तथा उप मुख्य सचेतक का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। मैं अपने सहयोगी माननीय

उपाध्यक्ष, विधान सभा व सभापति तालिका के सदस्यों का जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया,उनका भी धन्यवाद करता हूं।

मैं सदन के समस्त सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने विषयों को सदन में उठाया। मैं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विधान सभा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार करता हूं जिन्होंने इस सत्र के लिए दिन-रात कार्य करके इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया। मैं प्रिंट/इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पंहुचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

माननीय मुख्य मंत्री ने वर्तमान सरकार का लगातार पांचवा तथा जन-हितैषी बजट पेश किया, जिसकी मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि हिमाचल मेलों व त्योहारों का प्रदेश है जिसके कारण हमारा प्रदेश देश-विदेश में विख्यात है। 18 मार्च, 2022 को दो दिन बाद रंगों का त्योहार होली मनाई जायेगी। मैं इस माननीय सदन की ओर से सभी प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम बधाई देता हूं।

इसके पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(06.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)